



2026:AHC:128536

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19761 वर्ष 2026

अतुल यादव

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : जय किशन, विपिन कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन कुमार एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम डॉ. एस.बी. मौर्या को सुना गया।

2. विचाराधीन विचारण के दौरान में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 325 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 85, 80(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस थाना सिविल लाइंस, जिला बदायूँ के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए यह वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह आवेदक की ओर से दायर किया गया द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है, जो कि मृतका का पति है, तथा आवेदक का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5448 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2026 के माध्यम से इस तथ्य पर विचार करते हुए खारिज कर दिया गया था कि आवेदक मृतका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई थी तथा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना के आरोप भी थे, परंतु स्वीकृत रूप से मृतका की मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई थी, अतः प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।

4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र के खारिज होने के पश्चात, विचारण के दौरान सूचनाकर्ता अर्थात् मृतका के पिता सहित मृतका के अभिभावक ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है, तथा विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए उनके बयानों को इस वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि तथ्य के महत्वपूर्ण गवाहों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान मामले में आवेदक की दोषसिद्धि की संभावना काफी क्षीण है, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान मामले में वह लगभग एक वर्ष से जेल में है, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि यह आवेदक की ओर से दायर द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है और आवेदक का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर इस तथ्य पर विचार करने के बाद खारिज कर दिया गया था कि वह मृतका का पति है, परंतु वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र के खारिज होने के बाद, विचारण न्यायालय के समक्ष मृतका के माता-पिता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आगे इस तथ्य पर भी विवाद नहीं कर सके कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि मृतका की मृत्यु फांसी लगाने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कारण हुई थी, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह लगभग एक वर्ष से जेल में है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और वाद के अभिलेखों का अवलोकन किया।

9. यद्यपि यह आवेदक की ओर से दायर द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है और आवेदक का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार करने के बाद खारिज कर दिया गया था कि आवेदक मृतका का पति है, परंतु यह परिलक्षित होता है कि प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र के खारिज होने के बाद जब मृतका के अभिभावक विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, तो उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।

10. इसके अतिरिक्त, मृतका की मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट यह दर्शाती है कि मृतका की मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई थी, अतः प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।

11. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 25.07.2025 से जेल में है, अर्थात् लगभग एक वर्ष से।

12. इसके अतिरिक्त, यह विधि सुस्थापित है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक किसी आरोपी को निर्दोष माना जाता है और जमानत प्रार्थना पत्र को दंडात्मक या निवारक उद्देश्य से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

13. अतः, ऊपर चर्चा की गई मामले की परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. आवेदक - अतुल यादव को उपरोक्त वाद में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिनांक: जून 22, 2026

ए.के. पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।